

23-10-17

राज्य द्वारा एडीपीओ उप0।

आरोपी सोनू व गुड्डू अनु0 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक जादौन उप0।

अनु0 आरोपीगण का धारा 317 द.प्र.स. के अंतर्गत हा0माफी आवेदन अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया जो बाद विचार स्वीकार किया गया और अनु0 आरोपीगण की उपस्थिति जर्ग अधिवक्ता मान्य की गयी।

प्रकरण आज अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

आज दिनांक को फरियादी गब्बरसिंह व आहत नाबालिग सौरभ अपने पिता बृजराजसिंह सहित उपस्थित हैं।

फरियादी व आहत की पहचान अधिवक्ता श्री राजवीरसिंह गुर्जर द्वारा की गयी।

उभयपक्षों द्वारा व्यक्त किया गया कि उनके मध्य मीडियेशन के माध्यम से प्रकरण का निराकरण होना संभव है। अतः प्रकरण मीडियेशन की कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

चूंकि उभयपक्षों के मध्य मीडियेशन के माध्यम से प्रकरण का निराकरण संभव है। अतः प्रकरण मीडियेशन की कार्यवाही हेतु श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद के न्यायालय में भेजा जाता है। उक्त संबंध में रैफरल आर्डर जारी किया जावे।

उभयपक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वह मीडियेशन की कार्यवाही हेतु श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद के न्यायालय में उपस्थित रहें।

प्रकरण मीडियेशन रिपोर्ट हेतु चायकाल पश्चात पेश हो।

सही/-

जेएमएफसी, गोहद

पुनश्च:

राज्य द्वारा एडीपीओ उप0।

आरोपी सोनू व गुड्डू अनु0 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक जादौन उप0।

प्रकरण में मीडियेशन रिपोर्ट प्राप्त अभिलेख में संलग्न की गयी।

इसी प्रक्रम पर उभयपक्षों द्वारा दप्रस की धारा 320(2) व 320(4) के अंतर्गत राजीनामा आवेदन मय राजीनामा प्रस्तुत कर प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति चाही गयी। आहत सौरभ की ओर से उसके पिता बृजराजसिंह द्वारा दप्रस की धारा 320(4) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर श्यामू की ओर से राजीनामा करने की अनुमति चाही गयी।

सर्वप्रथम दप्रस की धारा 320(4) के आवेदन पर विचार किया गया।

प्रकरण में आहत सौरभ नाबालिग है एवं आहत बृजराजसिंह सौरभ का पिता होकर उसका प्राकृतिक संरक्षक है एवं उसकी ओर से राजीनामा करने के लिए सक्षम है। आहत बृजराज ने पुत्र सौरभ की ओर से राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। अतः बाद विचार दप्रस की धारा 320(4) का आवेदन स्वीकार किया गया एवं बृजराज को अपने अवयस्क पुत्र सौरभ की ओर से राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की गयी।

तत्पश्चात् द.प्र.स. की धारा 320(2) के आवेदन पर विचार किया गया।

राजीनामा आवेदन पर विचार किया गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.स. की धारा 294, 341, 323 (दो शीर्ष) एवं 506 भाग दो के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए हैं। भा.द.स. की धारा 294, 341, 323 (दो शीर्ष) एवं 506 भाग दो न्यायालय के अनुमति से राजीनामा योग्य है। फरियादी गब्बरसिंह व आहत नाबालिग सौरभ की ओर से उसके विधिक प्रतिनिधि सरपरस्त पिता बृजराजसिंह ने आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में है एवं लोकनीति के अनुरूप है। अतः बाद विचार उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं उभयपक्षों को प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

राजीनामे के आधार पर आरोपी सोनू उर्फ सरजीतसिंह एवं गुड्डू उर्फ मनिन्दरसिंह को भा.द.स. की धारा 294, 341, 323 (दो शीर्ष) एवं 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अनुपस्थित आरोपीगण की दोषमुक्ति की सूचना उनके अधिवक्ता दी गयी।

आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

प्रकरण में कोई जप्तशुदा संपत्ति नहीं है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण को दाखिल अभिलेखागार किया जावे।

सही /—
(प्रतिष्ठा अवस्थी)
जेएमएफसी, गोहद